

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം**


നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 424


15.11.2019 ര്മദുപടിയ്ക്ക്

സ്മാർട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ

<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ.മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ,, പി. ഉബൈദുള്ള പ്രൊഫ.ആബീദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ</p>		<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center">ശ്രീ.എ.കെ.ശശിന്ദ്രൻ (ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>	
(എ)	<p>സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>01/04/2019 ന് ശേഷം നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും HSRP നമ്പർപ്ലേറ്റ് നിർബന്ധ മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഹന ഉല്പാദകരുടെ ഡീലർമാരെ തന്നെയാണ് നമ്പർപ്ലേറ്റ് നൽകുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമെ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>
(ബി)	<p>സ്മാർട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(ബി)	<p>വ്യാജ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുവാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി വ്യാജ നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കൂടാതെ ഇത്തരം നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾക്ക് സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ കേടുപാടു സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളോ ഡീലർ വഴിയോ മാത്രമേ പുതിയ നമ്പർപ്ലേറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ വളരെയധികം സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം നമ്പർപ്ലേറ്റുകളിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 06/12/2018 ലെ S.O. 6052(E) നമ്പർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>

<p>(സി) വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ സ്റ്റാർട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളും റോഡുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിയന്ത്രിത സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് മുഖേന ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിലും നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും കൈവരിക്കാനായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി) ഗതാഗത വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.</p>
--	--


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4823] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940
No. 4823] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6052(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह अधिसूचित किया जाना आवश्यक और समीचीन है कि किसी मोटर वाहन में अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के संबंध में विनिर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के संदर्भ में कतिपय मानकों के अनुरूप होगी;

अब, इसलिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और मोटर यान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे मानकों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:—

आदेश

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -
(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 है।
(2) यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगा।
- लागू होना:—यह आदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा-परिभाषित मोटर वाहनों पर लागू होगा।
- किसी वाहन निर्माता द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद बेचे जाने वाले नए वाहनों के लिए, अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्: -



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4823]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940

No. 4823]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6052(अ).—जबकि, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह अधिसूचित किया जाना आवश्यक और समीचीन है कि किसी मोटर वाहन में अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट के संबंध में विनिर्माता द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के संदर्भ में कतिपय मानकों के अनुरूप होगी;

अब, इसलिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और मोटर यान (नई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2001 के उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा ऐसे मानकों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:—

आदेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: -

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 है।

(2) यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होगा।

2. लागू होना - यह आदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में यथा-परिभाषित मोटर वाहनों पर लागू होगा।

3. किसी वाहन निर्माता द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद बेचे जाने वाले नए वाहनों के लिए अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) वाहन विनिर्माताओं द्वारा उनके डीलरों को तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिह्न सहित टाइप अनुमोदित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों की आपूर्ति की जाएगी जो ऐसी प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण का चिह्न लगाएंगे और इन्हें मोटर वाहनों पर चिपकाएंगे।
- (ख) मोटर वाहनों के विनिर्माता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षा लाइसेंस प्लेटों पर रजिस्ट्रीकरण का चिह्न लगाने और तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट को मुद्रित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उनके डीलरों के पास उपलब्ध है।
- (ग) अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट और रजिस्ट्रीकरण चिह्न को लगाने के पश्चात् इसे वाहन पर चिपकाने की लागत को नए वाहन की कीमत में शामिल किया जाएगा और इसके लिए डीलर द्वारा वाहन खरीदार से कोई अतिरिक्त या वस्तुबद्ध लागत प्रभारित नहीं की जाएगी।
4. (i) मौजूदा वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के लिए, तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की आपूर्ति उस पर रजिस्ट्रीकरण चिह्न लगाए जाने के पश्चात् वाहन निर्माताओं के डीलरों द्वारा की जाएगी और इसे लगाया जाएगा।
- (ii) अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता, यदि संबंधित राज्य द्वारा अधिकृत हैं, तो रजिस्ट्रीकरण चिह्न लगाने के पश्चात् पुराने वाहनों पर तीसरे रजिस्ट्रीकरण चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की भी आपूर्ति कर सकते हैं।
5. मोटर वाहनों के विनिर्माता और उनके डीलरों या अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित विनिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा, अर्थात् :-
- (i) अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली या केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी परीक्षण एजेंसी से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- (ii) रजिस्ट्रीकरण प्लेट केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 में उपवर्णित विनिर्देशों के अनुरूप होगी।
- (iii) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 50 में उल्लिखित, अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट की अवधि अविनश्वर प्रकृति के लिए प्रत्याभूति दी गई होगी और इस अवधि से पूर्व प्लेट या रजिस्ट्रीकरण चिह्न के क्षतिग्रस्त होने या प्राकृतिक रूप से नष्ट होने के मामले में इसे उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित वाहनों के संबंध में मोटर वाहन विनिर्माता या उनके डीलरों द्वारा या अन्य मामलों में लाइसेंस प्लेट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता या उनके डीलरों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iv) किसी भी विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रतिस्थापन मोटर वाहनों के डीलरों या अधिकृत अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता द्वारा पुरानी प्लेट को अभ्यर्पित या विनष्ट सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् किया जा सकेगा।
- (v) (क) कूट रचना से संरक्षण के लिए 20 मिमी x 20 मिमी आकार का एक क्रोमियम आधारित होलोग्राम प्लेट के शीर्षस्थ बाईं ओर के कोने पर सामने और पीछे दोनों प्लेटों का ताप स्टांपन द्वारा लगाया जाएगा।
- (ख) होलोग्राम में इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट उपाबंध के अनुसार नीले रंग में चक्र बना होगा।
- (vi) कम-से-कम 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण प्लेट के तल के बाईं ओर परावर्ती परत में लेजर ब्रेड की जानी है जिसमें अंक आकार 5 मिमी का होगा।
- परन्तु यह है कि स्थायी क्रमागत पहचान संख्यांक के पहले विक्रेता या विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता, जैसा मामला हो, जिसके लिए प्रकार अनुमोदन प्रमाण-पत्र परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी किए गए हैं के नाम का व्यपदेशन करते हुए दो अक्षर होंगे:
- परन्तु अग्रेतर यह है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट परीक्षण अभिकरण बताई गई उक्त मारणी के स्तम्भ (3) और (4) में विनिर्दिष्ट अक्षरों का प्रयोग निम्नवत करेंगे:

सारणी

क्र. सं.	परीक्षण अभिकरण का नाम	प्रथम वर्ण	द्वितीय वर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे	ए से एच	ए से जेड
2.	केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	आई से पी	ए से जेड
3.	यान अनुसंधान विकास स्थापना, अहमदनगर	क्यू से एस	ए से जेड
4.	अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र, मानेसर	टी से वी	ए से जेड
5.	केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे	एक्स	ए से जेड
6.	ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई	वाई	ए से जेड

परन्तु प्रतिबंध यह भी है कि सामने की और पीछे की रजिस्ट्रीकरण प्लेटों के लिए अंकों की ऊंचाई 5 मिमी. और तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट के लिए 2.5 मिमी. होगी, जो एक स्टिकर के प्ररूप में होगी।

- (vii) (क) अनुज्ञापन संख्यांक के अक्षरों या अंकों पर लगाई जाने वाली ताप स्टापन फिल्म में "इंडिया" उत्कीर्णित होगा।
 (ख) अक्षर "इंडिया" अन्य का दर्पण प्रतिबिंब होती हुई क्रमागत रेखाओं के साथ 45° अंश के झुकाव पर एरियल बॉल्ड टाइप की लिपि में 10 (दस) आकार के अक्षर के साथ नीले रंग के होंगे।
- (viii) (क) स्व-विध्वंसक के प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के रूप में तीसरी रजिस्ट्रीकरण प्लेट 100 मिमी. x 60 मिमी. के आकार की होगी जिसे यान के विंडशील्ड के बाईं ओर के भीतरी भाग पर लगाई जानी है।
 (ख) स्टिकर की फिल्म अनिवार्यतः उच्च परावर्ती अभिसूचक सहित विवर्तन पर्णों की होनी चाहिए और उसमें क्रोमियम आधारित होलोग्राम जुड़ा हुआ होगा।
 (ग) स्टिकर पर विवरण होगा :
 (क) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का नाम;
 (ख) वाहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या ;
 (ग) लेजर ब्रांड की स्थायी पहचान संख्या; और
 (घ) वाहन की पहली रजिस्ट्रीकरण की तारीख ।
 (घ) स्टिकर के दाएं कोने के तल पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम लगाया जाएगा किंतु यह 10 मिमी. x 10 मिमी. के आकार का होगा और उक्त स्टिकर में वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक केंद्र में होगा और अक्षरों की ऊंचाई 10 मिमी. होगी।
 (ड.) लेजर ब्रांड वाला स्थायी पहचान संख्यांक स्टिकर के तल में बाईं ओर आएंगे और अंकों का आकार 2.5 मिमी. का होगा।
 (च) स्टिकर का चित्र इस आदेश से संलग्न उपाबंध में यथाविनिर्दिष्ट रेखाचित्र में दिया गया है।
 (ix)(क) डीजल वाहनों के लिए स्व-विध्वंसक के प्रकार के क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर के लिए पृष्ठभूमि का रंग नारंगी होगा तथा फेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए ये हल्के नीले रंग के होंगे।
 (ख) अन्य सभी वाहनों के लिए पृष्ठभूमि स्लेटी रंग की होगी।
 (x) मोटर यान के विनिर्माता या विक्रेता द्वारा जारी की गई रजिस्ट्रीकरण प्लेटों का समुचित अभिलेख दैनिक आधार पर रखा जाना चाहिए।
 (xi) रजिस्ट्रीकरण पर रजिस्ट्रीकरण प्लेट वाहनों पर लगाए जाने के पश्चात् विशिष्ट अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट को वाहन से इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ दिया जाएगा।
 (xii) उनके अधीनस्थ सभी सुरक्षा विशिष्टताओं का संपूर्ण अभिलेख मोटर वाहन के विनिर्माता या डीलर द्वारा अनुरक्षित किए जाएंगे जिनका सावधिक लेखा परीक्षा समय समय से संबंधित परीक्षण अभिकरण द्वारा की जाएगी।

(xiii) मोटर वाहन के विनिर्माताओं का अपने अधीनस्थ सभी सुरक्षा विशिष्टताओं पर संपूर्ण नियंत्रण होगा और या तो वह स्वयं या उनकी ओर से नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति खुले बाजार में रजिस्ट्रीकरण प्लेट पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा विशिष्टता उपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।


(xiv) मोटर वाहन के विनिर्माता किसी को भी अपूर्ण प्लेट या अपूर्ण सुरक्षा मानकों वाले प्लेट्स की पृथक बिक्री करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे :

परन्तु यह भी है कि उप-पैरा (ix) में विनिर्दिष्ट विशिष्टताओं के अनुसार जो भी मामला हो, के अनुरूप पहले से रजिस्ट्रीकृत वाहनों के लिए स्व-विध्वंसक प्रकार के स्टिकर के रूप में तीसरी संख्या प्लेट को बदलने के लिए वे अधिकृत होंगे।


(xv) इन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संबंधित परीक्षण अभिकरण प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र का निलंबन या निरस्तीकरण जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ANNEXURE

1. HOLOGRAM (FRONT AND REAR REGISTRATION PLATE)



2. STICKER (THIRD REGISTRATION PLATE)



ALL DIMENSIONS ARE IN MM

[फा. सं. आरटी-11028/01/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2018

S.O. 6052(E).—Whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to notify that the process used by a manufacturer in regard to a high security registration plate for a motor vehicle shall conform to certain standards with reference to the Central Motor Vehicles Rule, 1989;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the Motor Vehicles (New High Security Registration Plates) Order, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following order to specify such standards, namely:—

ORDER

1. Short title and commencement:-

- (1) This Order may be called as the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018.
- (2) It shall come into force on the 1st day of April, 2019.

3. Application. —This Order shall apply to motor vehicles as defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

4. A vehicle manufacturer shall comply with the following procedure in regard to High Security Registration Plates (HSRP) for a new vehicle to be sold on or after 1st April, 2019 namely:-

- (a) The type approved High Security Registration Plates including the third registration mark, shall be supplied by the vehicle manufacturers to their dealers, who shall place a mark of registration on such plates and affix them on the automobiles.
- (b) A manufacturer of the motor vehicles shall ensure that the requisite infrastructure required for placing the mark of registration on the security licence plates and printing the third registration plate are available with their dealers.
- (c) The cost of high security registration plate and its affixture on the vehicle after placing the mark of registration shall be included in the price of the new vehicle and no additional or itemised cost shall be charged from the vehicle purchaser by the dealer for the same.

5. (i) For the affixation of HSRP on existing vehicles, the high security registration plate including the third registration mark may be supplied and affixed by the dealers of the vehicle manufacturers after placing the mark of registration thereon.

(ii) The manufacturers or suppliers of high security registration plates, if so authorised by the state concerned, may also supply the high security registration plate including the third registration mark on old vehicles after placing the registration mark.

6. A manufacturer of the motor vehicles and their dealers or the manufacturers or suppliers of high security registration plates shall comply with the following specifications, namely:—

- (i) The high security registration plates shall have a certificate from the Central Road Research Institute, New Delhi or any one of the testing agencies authorised by the Central Government under rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- (ii) The Registration Plate shall conform to the specifications spelt out in rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
- (iii) The Registration Plate shall be guaranteed for imperishable nature for a period mentioned in rule 50 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in case of damage or withering due to natural usage before such period, it shall be replaced by the motor vehicles manufacturer or their dealers in respect of vehicles mentioned under para 4 above, or the licence plate manufacturer or suppliers or their dealers, as the case may be, in other cases.
- (iv) The replacement for any existing registration plate may be made by the motor vehicles dealers or the authorised high security registration plate manufacturer or supplier, only after ensuring that the old plate has been surrendered and destroyed.

- (v) (a) To protect against counterfeiting, a chromium-based hologram of the size 20 mm x 20 mm shall be applied by hot stamping on the top left-hand corner of the plate in both front and rear plates.
(b) The hologram shall contain CHAKRA in blue colour as specified in the Annexure appended to this Order.

- (vi) The permanent identification number of minimum 10 digits shall be laser branded into the reflective sheeting on the bottom left-hand side of the registration plate with the letter size being 5 mm:

Provided that the permanent consecutive identification number shall be preceded by two alphabets representing the name of the vendor or the manufacturer or the supplier, as the case may be, for whom the type approval certificate shall be issued by the test agencies:

Provided further that the test agencies specified in column (2) of the Table below shall use the alphabets specified in column (3) and (4) of the said Table as under:—

Table			
Sl. No.	Name of Test Agency	First Alphabet	Second Alphabet
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Automotive Research Association of India, Pune	A to H	A to Z
2.	Central Road Research Institute, New Delhi	I to P	A to Z
3.	Vehicles Research Development Establishment, Ahmednagar	Q to S	A to Z
4.	International Centre for Automotive Technology, Manesar	T to V	A to Z
5.	Central Institute of Road Transport, Pune	X	A to Z
6.	Global Automotive Research Centre, Chennai	Y	A to Z:

Provided also that the height of the digits shall be 5mm for the front and rear registration plates and shall be 2.5 mm for the third registration plate, which shall be in the form of a sticker.

- (vii) (a) The hot stamping film to be applied on the letters or numerals of the licence number shall bear the inscription "INDIA".

(b) The letters "INDIA" shall be in blue colour with the font size of 10 (Ten) in Type Arial Bold script at 45 degrees' inclination with sequential lines being the mirror image of the other.

- (viii) (A) The third registration plate in the form of a self-destructive type chromium based hologram sticker shall be of the size of 100 mm x 60 mm is to be affixed on the inner side of left hand corner of windshield of the vehicle.

(B) The sticker shall be required to be a diffraction foil film with high reflective index and shall have the chromium based hologram embedded.

(C) The details on the sticker shall be-

- (a) Name of registering authority;
(b) registration number of the vehicle;
(c) laser branded permanent identification number; and
(d) Date of first registration of the vehicle.

(D) On the bottom of the right corner of the sticker, the chromium based hologram of size of 10 mm x 10 mm shall be embedded and in the said sticker the registration number of the vehicle shall be in the centre with a letter size of 10 mm in height.

(E) The laser branded permanent identification number shall come in the bottom left side of the sticker with numeral size being 2.5mm.

(F) A depiction of the sticker shall be as specified in the Annexure appended to this Order.

- (ix) (a) The background colour for the self-destructive type chromium based hologram sticker for the Diesel vehicles shall be Orange and it shall be Light Blue for the Petrol and CNG vehicles.


(b) For all other vehicles, the background shall be of grey colour.

- (x) A proper record of the registration plates issued should be maintained on a daily basis by manufacturer of motor vehicle or dealer.


- (xi) The unique high security registration plate shall be linked electronically to the vehicle after its affixture on the vehicle on registration.
- (xii) The complete record of all the security features in their possession shall be maintained by manufacturer of motor vehicle or dealer which may be audited by the concerned testing agencies from time to time.
- (xiii) The manufacturer of a motor vehicle shall exercise complete control over all the security features in their possession and shall be responsible for the use of any of the security feature on registration plate in the open market either by themselves or by any other person on their behalf.
- (xiv) The manufacturer of a motor vehicle shall not be authorized to sell incomplete plates or the security features separately to anyone:
 Provided that they shall be authorised to replace the third number plate in form of the self-destructive tape sticker for the already registered vehicles as the case may be as per specification specified in sub-para (ix).
- (xv) The type approval certificate issued shall be liable for suspension or cancellation by the concerned testing agency for failure to comply with these provisions.

ANNEXURE

1. HOLOGRAM (FRONT AND REAR REGISTRATION PLATE)



2. STICKER (THIRD REGISTRATION PLATE)



ALL DIMENSIONS ARE IN MM

[F. No. RT-11028/01/2018-MVL]
 PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

(Handwritten signature and text)